



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2004/आषाढ 16, 1926

No. 116]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2004/ASADHA 16, 1926

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2004

सं. 301-2/2004(इकॉन).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2000 द्वारा यथा-संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि भारत के भीतर और भारत के बाहर जिन टेरिफों पर दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के निमित्त उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में संशोधन करके, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है :-

दूरसंचार टैरिफ (इकतीसवां संशोधन) आदेश, 2004

(2004 का क्रमांक 3)

खंड I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**

- (i) इस आदेश को "दूरसंचार टैरिफ (31वां संशोधन) आदेश, 2004" कहा जाएगा।
- (ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

खंड II

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के भाग III (दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ) के खंड 6 (लचीलापन और पैकेज) में, उप-खंड (IV) के बाद निम्नलिखित उपखंड जोड़े जाएंगे।

(v) कोई भी टैरिफ योजना जो एक बार उपभोक्ता को प्रस्तावित की जा चुकी हो, उपभोक्ता के उस टैरिफ योजना में शामिल हो जाने की तारीख से, कम से कम छः महीने के लिए, उसे उपलब्ध रहेगी।

(vi) उस टैरिफ योजना में शामिल उपभोक्ता, उस छः महीने के भीतर भी किसी भी दूसरी टैरिफ योजना में जाने के लिए स्वतंत्र होगा। योजना बदलने संबंधी सभी अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे और या तो उन्हें तत्काल या अगले बिलिंग साइकिल शुरू होने पर कार्यान्वित किया जाएगा।

(vii) किसी भी टैरिफ योजना के लिए, एक्सेस सेवा प्रदाता किसी भी समय टैरिफ कम कर सकेगा परंतु उस योजना में किसी भी टैरिफ मद को, उपरोक्त छः महीने की अवधि में, बढ़ाया नहीं जाएगा।

खंड III

इस आदेश में अनुलग्नक के रूप में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में इस संशोधन के कारण दिए गए हैं।

आदेशानुसार,

राजेन्द्र सिंह, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा./142/04]

अनुलग्नकव्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 8 मार्च 2004 को एक परामर्श पत्र जारी किया था जिसका विषय था 'एक्सेस प्रदाताओं की टैरिफ योजनाओं की संख्या की सीमा तय करना'। इस परामर्श प्रक्रिया को शुरू करने का मुख्य कारण यह था कि सेवा प्रदाता काफी अधिक संख्या में टैरिफ योजनाएं सामने रखने लगे हैं और ऐसी रिपोर्टें मिल रही थीं कि इससे उपभोक्ताओं में भ्रम हो रहा है और सूचना आधारित उनके चुनाव कर सकने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा है। इतनी अधिक संख्या में योजनाएं होने से, प्रभारण (चार्जिंग) में पारदर्शिता, और अन्य योजनाओं में स्थानांतरण आदि के जो उपभोक्ता संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वे भी सामने आने लगे हैं। इनके समाधान के लिए, परामर्श पत्र में एक सुझाव यह दिया गया कि एक्सेस प्रदाताओं द्वारा जो अधिकाधिक योजनाएं प्रस्तुत की जा रही हों उनकी सीमा निर्धारित कर दी जाए। हितधारियों के समक्ष विचारार्थ निम्नलिखित विषय रखे गए :

- (क) कितनी योजनाओं की अनुमति दी जाए ?
- (ख) प्रस्तावित अधिकतम योजनाएं किन किन सेवाओं पर लागू हों?
- (ग) बाजार में प्रस्तावित टैरिफ योजनाओं के लिए क्या कोई न्यूनतम वैधता अवधि होनी चाहिए ?
- (घ) क्या व्यावसायिक / समवाय (कारपोरेट) योजनाओं को, पृथक सेवा--खंड माना जाए ?
- (ङ) मूल्यवर्धित/ सेवाओं अधिकतम टैरिफों को किस तरह, किस रूप में, माना जाए ?

(च) क्या प्रोजेक्शन योजनाओं के प्रस्तावों को, मानक कटौतियों के प्रस्तावों की तरह माना जाए ?

विचारार्थ मुख्य मुद्दा यह था कि एक्सेस प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत टैरिफ योजनाओं की अधिकतम संख्या की सीमा को निर्धारित किया जाए या नहीं। परामर्श के निमित्त अन्य मुद्दे पूरक प्रकार के थे।

हितधारियों की प्रतिक्रिया

इस मामले पर हितधारियों ने अपने विचार लिखित रूप में भी दिए और, दिल्ली तथा मुंबई में क्रमशः 12--5--04 तथा 14--5--04 को हुए, दो मुक्त-सत्रों अर्थात् 'ओपन हाउस सेशनों' में भी रखे।

इस मामले पर प्रचालकों याने आपरेटरों, तथा उपभोक्ता संगठनों की विचारों के बीच, स्पष्ट विभाजन रहा है। एम टी एन एल को छोड़ सभी आपरेटरों ने योजनाओं की संख्या सीमित करने का विरोध किया जब कि उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की राय में, टैरिफ योजनाओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करना वांछनीय माना गया।

3. टैरिफ योजनाओं की संख्या के निर्धारण के खिलाफ जो दृष्टिकोण थे, उनके आधार निम्नलिखित थे :

(i) टैरिफ योजनाओं की संख्या को सीमा में बांध देने से, बाजार में सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा असरदार नहीं हो पाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, और यह उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत होगी।

(ii) इस समय टैरिफ योजनाओं की अधिकतम सीमा का निर्धारण जरूरी नहीं है क्योंकि यह बाजार की जरूरतों पर दखलंदाजी की तरह हो जाएगा। जैसा कि 'ट्राई' के अपने विश्लेषणों से सिद्ध होता है, टैरिफ के मसलों से दूर रहने पर, इस सेक्टर में तेजी से विकास होता है और उपभोक्ताओं पर टैरिफों का बोझ कम से कम होता जाता है।

(iii) टैरिफ योजनाओं की संख्या के संदर्भ में, उस संख्या के अनुसार, सभी आपरेटरों को कुछ लचीलेपन की जरूरत होती है। टैरिफ योजनाओं की संख्या, उपभोक्ता खंडों के बराबर होनी चाहिए। ये खंड, क्षेत्र विशेष में अलग अलग हिसाब से हो सकते हैं जैसे, कालिंग पैटर्न, आवक या इनकमिंग कालें, संवृत उपभोक्ता समूह या क्लोज्ड यूजर ग्रुप की कालें, आदि आदि। आदर्श स्थिति यह होगी कि, जब तक उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहते हैं और, विभिन्न योजनाओं के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना पारदर्शी तरीके से, और आसानी से मिल सकती हो ताकि वह जानकारियों के आधार पर अपने निर्णय ले सके, तो योजनाओं की संख्या आपरेटरों के विकल्पों पर छोड़ देना सर्वोत्तम रास्ता होगा।

(iv) आजकल टेलीफोनी का बाजार इतना अधिक प्रतिस्पर्धा वाला है कि लगभग सारी मार--काट टैरिफ के हथियार से हो रही है। चूंकि बाजार अभी भी तेजी से बढ़ रहा है और करीब करीब सारे ही सेवा प्रदाता नए नए उपभोक्ता, अपनी ओर खींचने में जुटे हैं, तो उनके पास ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, मुख्य घटक टैरिफों में लचीलापन और विविधतापूर्ण हो जाता है।

4. टैरिफ योजनाओं की संख्या को विनियमित कराने, उसकी सीमाएं निश्चित कर देने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए :

20859E/14-2

- (i) योजनाओं की संख्या उपभोक्ताओं को भ्रमित करती है ।
- (ii) टेलीकाम सेक्टर के फायदों को अगर साधारण या आम उपभोक्ता तक पहुंचाना है तो, नए टैरिफों और प्रोन्नयन अथवा प्रोमोशनल स्कीमों को अमल में लाने के लिए, कोई खास व्यवस्था होनी चाहिए । बहुत अधिक संख्या में ऐसी योजनाएं जो मुश्किल से समझ में आएँ, उनके मुकाबले समझ में आ जाने वाली, पर कम संख्या में योजनाओं से, उपभोक्ताओं को ज्यादा फायदा होगा ।

योजनाओं की अधिकतम सीमा के पक्षधर हितधारियों की मोटे तौर पर इस बात पर सहमति थी कि प्रत्येक उपभोक्ता वर्ग पर 5 योजनाएं समीचीन होंगी ।

5. उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की, कि टैरिफ योजनाओं की संख्या सीमित कर देने से, समग्र रूप से सेवा में अधिक पारदर्शिता लाने का, यह एक संभव तरीका है । प्रस्तावों में, और टैरिफों तथा बिलिंग में भी पारदर्शिता का अभाव उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था न कि बाजार में बड़ी संख्या में योजनाओं का होना । टैरिफ योजनाओं को एकाएक और अक्सर बंद कर देने से, और उसके बाद स्थानांतरण या माइग्रेशन की प्रक्रिया से भी, उनको अधिक कष्ट होता है । आमतौर पर यह राय थी कि अगर इन मुद्दों को सुलझा दिया जाए, तो बाजार में अधिकाधिक योजनाओं से होने वाली कठिनाइयां काफी हद तक कम हो जाएंगी । इस बारे में नीचे लिखे सुझाव प्राप्त हुए :

- (क) 'ट्राई' इस बात को अनिवार्य कर दे कि टैरिफ योजनाएं इस रूप में प्रकाशित की जाएं ताकि तुलना हो सके ।
- (ख) किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, छिपे हुए या, अ--सुपाठय प्रभार न हों ।

- (ग) किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक योजना की एक न्यूनतम वैधता अवधि होनी चाहिए। तथापि, उपभोक्ता को यह आजादी हो कि वह जब चाहे योजना बदलले और उसके लिए कोई बाध्यकारी अवधि न हो।
- (घ) किसी टैरिफ योजना की वापसी के लिए, उस योजना से जुड़े प्रत्येक उपभोक्ता को, व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत अवधि सहित अग्रिम नोटिस, देना अनिवार्य हो।
- (ङ) किसी योजना के बंद होने की हालत में, किसी भी अन्य योजना में स्थानांतरण उपभोक्ताओं की सहमति से ही हो।
- (च) 'ट्राई' को एक उपभोक्ता पोर्टल शुरू कर देना चाहिए जिसमें सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत टैरिफों के विवरण हों।

6. परामर्श प्रक्रिया से जो फीडबैक मिला, उसका सारांश इस प्रकार है:--

(i) आपरेटर इस पक्ष में नहीं हैं कि टैरिफ योजनाओं की संख्या को सीमाओं में बांधा जाए,

(ii) उपभोक्ताओं का मतलब मुख्यतया इस बात से रहता है कि, जिस तरीके से योजनाओं की पेशकश होती है और उन पर अमल होता है, उसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से वे टैरिफ योजनाओं की संख्या सीमित चाहते हैं।

(iii) अगर टैरिफों के प्रकाशन और उनके कार्यान्वयन में, तथा उपभोक्ताओं को बिलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तो योजनाओं की अधिकता से उत्पन्न समस्याएं काफी सोमा तक कम हो जाएंगी ।

7. हितधारियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए और बाजार में गहन प्रतिस्पर्धा से पैदा गतिशीलता के मद्देनजर, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित टैरिफों की संख्या पर अब और आगे प्रतिबंध न लगाए जाएं । इसलिए, टैरिफ योजनाओं की संख्या के मामले पर, 13--6--02 के दूरसंचार टैरिफ आदेश (इक्कीसवें संशोधन) की विद्यमान व्यवस्थाएं ही बनी रहेंगी । इस संशोधन के अनुसार, एक सेवा प्रदाता द्वारा, एक समय में, पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों को मिलाकर कुल 25 योजनाएं ही अधिकतम प्रस्तावित हो सकती हैं ।

8. इसके साथ ही, प्राधिकरण ने महसूस किया कि, जिस तरह टैरिफों की पेशकश होती है और उन पर अमल होता है, खासतौर पर उसे देखते हुए सेवा की व्यवस्था में पारदर्शिता का स्तर बढ़ाना भी जरूरी है । अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि, परामर्श प्रक्रिया के दौरान जो सुझाव मिले हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा सुझावों को दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) में शामिल कर लिया जाए और एक्सेस प्रदाताओं के लिए उनका अनुपालन अनिवार्य कर दिया जाए । नई व्यवस्थाओं से आपरेटरों की इस आदत पर लगाम लग सकेगी जिसमें वे नई नई टैरिफ योजनाएं प्रस्तुत करते हैं और फिर अचानक ही या तो उन्हें वापस ले लेते हैं या उनमें संशोधन कर देते हैं । इससे उपभोक्ता का वह मूलभूत आधार ही गड़बड़ा जाता है जिसके सहारे उसने वह खास टैरिफ पसंद किया था । इससे पहले से बने उपभोक्ताओं को परेशानी होती है और यह उनको दूसरी योजना में जाने को मजबूर करता है । नई व्यवस्थाओं से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि, चुनी हुई लागत स्तर पर सेवा, उपभोक्ता को कम से कम छः महीने तो मिलेगी ही । तथापि,

आपरेटरों को इस बात की छूट रहेगी कि वे इस छ. महीने के दौरान, टैरिफ की किसी भी मद की कीमत कम कर सकते हैं। इस आदेश से, प्रोन्नयन पैकेजों पर वर्तमान मार्ग निर्देशों का कोई असर नहीं होगा। इस टैरिफ आदेश के प्रावधानों से, उपभोक्ताओं के सामने आने वाली उन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा जो, सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफों, टैरिफ योजनाओं के बार बार बदलने या वापस लेने के कारण होती हैं। साथ ही, एक योजना से दूसरी योजना में उपभोक्ता को स्थानांतरण भी पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगा।

9. प्राधिकरण ने 24--5--04 को जो निर्देश जारी किया है वह टैरिफों के प्रकाशन में अधिक पारदर्शिता लाने के सुझाव के परिणामस्वरूप है। इस निर्देश में एक सरल फार्मेट दिया गया है जिसमें सेवा प्रदाताओं को अपनी अपनी टैरिफ योजनाओं को विज्ञापित करना होगा। सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों में भी अब उन गणनाओं/क्रियाविधि आदि का विवरण होगा जिनसे यह पता चल सकेगा कि, विज्ञापित उपयोग के विभिन्न स्लैबों में, अंतर्निहित वित्तीय पक्ष या आंकड़ों तक किस तरह पहुंचा गया है। उपभोक्ता द्वारा टैरिफ योजनाओं के खुद ही मूल्यांकन अथवा लागत निकालने में यह काफी उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी आशा है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2004

No. 301-2/2004-Eco.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of the Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by TRAI (Amendment) Act, 2000, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby makes the following order by an amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999 by notification in the Official Gazette, in respect of tariffs at which Telecommunication services within India and outside India shall be provided.

2085 6/104-3

**THE TELECOMMUNICATION TARIFF (THIRTY FIRST AMENDMENT)
ORDER, 2004**

(4 of 2004)

Section I

1. Short title, extent and commencement:

- (i) This Order shall be called " The Telecommunication Tariff (Thirty first Amendment) Order, 2004".
- (ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Section II

2. Under Section III (Tariffs for Telecommunication Services) of the Telecommunication Tariff Order, 1999 " in Clause 6 (Flexibility and Packages), following sub-clauses shall be added after sub-clause(iv):

- (v) A tariff plan once offered by an Access Provider shall be available to a subscriber for a minimum period of SIX MONTHS from the date of enrolment of the subscriber to that tariff plan.
- (vi) The subscriber in the said tariff plan shall be free to choose any other tariff plan, even during the said SIX MONTHS period. All requests for change of plan shall be accepted and implemented immediately or from the start of next billing cycle.
- (vii) For any tariff plan, the Access Provider shall be free to reduce tariffs at any time provided that no tariff item in that plan shall be increased within said SIX MONTHS period.

Section III

This Order contains an Explanatory Memorandum as at Annexure, which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,
RAJENDRA SINGH, Secy.
[ADVT III/IV/Exty./142/04]

EXPLANATORY MEMORANDUM

TRAI issued a Consultation Paper "Limiting the number of tariff plans by the Access Providers" on 8th March 2004. The major reason for initiating this consultation process was that the service providers have been offering a large number of tariff plans and there were reports that this was confusing consumers and affecting their ability to make informed choice. The existence of such large number of plans also gave rise to consumer concerns of great importance like transparency in charging and migration to other plans etc. The consultation paper suggested placing a cap on the number of plans that can be offered at any point of time by the access providers as one way of addressing the concerns. The paper posed the following issues for consideration before the stakeholders:

- a) What should be the permitted number of plans?
- b) What should be service segments for application of the proposed caps?
- c) Should a minimum validity period be specified for tariff plans offered in the market?
- d) Are business/corporate plans to be treated as separate segment?
- e) How to treat value added services/tariff toppings?
- f) Should promotional plans offers be made as a standard discount offer?

The main issue for consideration was whether to limit the number of tariff plans that access providers can offer and the other issues posed for consultation were of supplementary nature.

Response from the stakeholders

The stakeholders expressed their views in the matter through written submissions and also in the two open house sessions held in Delhi and Mumbai on 12.5.04 and 14.05.04 respectively.

There has been a clear cut division of opinion between the operators and consumer organizations in the matter. The operators with the exception of MTNL opposed limiting the number of plans while the consumers' representatives agreed to the suggestion to cap the number of tariff plans.

3. The views against regulating the number of tariff plans were based on the following:

- i) Limiting the number of tariff plans will not only limit the ability of the service providers in effectively competing in the marketplace, but also go against the interests of consumers.

- ii) Introduction of any kind of cap on tariff plans is not necessary at this moment, as it will amount to further interference with the dictates of the market place. As TRAI's own analyses have proved, a hand off approach on tariff matters has resulted in rapid growth in the sector combined with the lowest tariffs for consumers.
- iii) All operators require certain flexibility with reference to number of tariff plans. The numbers of tariff plans are to be equal to the number of customer segments, based on either calling pattern, incoming calls, closed user group calls, in the area. Ideally, till such time the customers' interest is not affected and the availability of information to customers about the various plans is transparent, easily available and comparable to make an informed decision, the number of plans be best left to the option of the operators.
- iv) In the competitive telephony market of today, practically all of the marketing battles are being fought on the tariff plank. Since the market is still growing rapidly and almost all the service providers are focused on new subscriber additions, flexibility in tariff setting is their principal instrument to attract subscribers

4. The points raised in favour of regulating the number of tariff plans are noted below:

- i) Large number of plans confuses the customers.
- ii) If the benefits of the telecom sector have to really percolate to ordinary subscribers, new tariffs and promotional schemes must be implemented in an organized manner. A subscriber will benefit more if there are just a handful of schemes that he could understand, instead of large number of indecipherable plans.

The stakeholders favouring the cap on the plans have generally agreed that 5 plans per segment is a reasonable number.

5. The consumers' representative supported limiting the number of tariff plans as one possible way to bring in more transparency in the service as a whole. Their concerns were more about the lack of transparency in offering and implementing the tariffs and also in the billing rather than the multiplicity of the plans in the market. They are also troubled by the sudden and frequent withdrawal of the tariff plans and the subsequent migration process. The view generally held was that if these issues could be addressed, the problems associated with existence of large number of plans in the market would be minimised to a large extent. Suggestions received in this regard as follows:

- a. TRAI should mandate publication of tariff plans in a manner that allow comparison.
- b. There shall not be any hidden charges or charges in the fine print.
- c. A plan once introduced by a service provider shall have reasonable validity period. However, the customer should be free to switch over plans and there should not be any binding period for him
- d. For withdrawal of a tariff plan, advance notice with reasonable time to each individual subscriber enrolled in the plan shall be mandated.
- e. In the event of closure of a plan, migration to any other plan shall be with the consent of the customers.
- f. TRAI should start a consumer portal giving details of tariffs offered by all service providers.

6. The feedback from the consultation process can be summed up as:-

- i) The operators are not in favour of limiting the number of tariff plans.
- ii) The consumers' are mainly concerned with the lack of transparency in the manner in which the plans are offered and implemented. They have supported limiting the number of tariff plans as a means to enhance the transparency.

iii) If transparency in publishing and implementing the tariffs and in billing the customers can be ensured the problems generated by the multiplicity of the plans can be contained to a large extent.

7. In view of the responses received from the stakeholders and in view of the dynamism in the market on account of intense competition, the Authority has decided not to further regulate the number of tariffs offered by the access providers. Therefore, in this matter of number of tariff plans the existing provisions of the 21st Amendment to TTO dated 13.6.02 shall continue. As per this Amendment, at any given point of time not more than 25 plans shall be on offer by a service provider. This includes both post paid and pre paid tariff plans.

2085 G7701-4

8. At the same time the Authority also felt that there is a need to enhance the level of transparency in provision of service especially in the manner in which the tariffs are offered and implemented. The Authority has, therefore, decided to incorporate certain suggestions received during the consultation process in the TTO thereby making its compliance mandatory for the access providers. The new provisions would curb the practice of the operators offering new regular tariffs/tariff plans and withdrawing or revising it suddenly, upsetting the basic considerations on which the subscriber has exercised his choice for the tariff. This causes inconvenience to the subscribers already enrolled and also forces them to migrate to another plan. The new provisions will ensure that the service would be available to the subscriber for the chosen price level at least for a period of six months. There shall, however, be no restriction on the operators in reducing any items of tariff during this period of SIX MONTHS. The existing Guidelines for promotional packages will not be affected by this Order. The provisions of this tariff order would mitigate the problems faced by the customers on account of the frequent revision/withdrawal of the tariffs/tariff plans by the service providers and also make the migration of the subscribers from one plan to another more transparent and consumer friendly.

9. The directive issued by the Authority on 24.5.04 has addressed the suggestion in respect of a more transparent method in publishing the tariffs. The directive prescribes a simplified format in which the service providers should advertise their tariff plans. The website of the service providers shall now also contain the details of calculations/methodology etc as to how the financial implications of different slabs of usage that are advertised have been arrived at. This is expected to be of great use to the customers in evaluating the tariff plans.